झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
चतुर्दश (शीतकालीन) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 26.12.2018 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0	झारखण्ड में अभी तक फॉरेस्ट पॉलिसी निर्धारित नहीं है। बिहार राज्य की फॉरेस्ट पॉलिसी के आधार पर झारखण्ड सरकार के स्टेट लेवल कमिटि (S.L.C.) के निर्णय अनुसार नगरपालिका तथा औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले आरा मिलों को छोड़कर वन भूमि से 05 किलोमीटर की परिधि में पड़नेवाले (एरियल रूट) से सभी आरा मिलों को स्थानान्तरित करने का आदेश दिया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- वन्य प्राणी मुक 4/99-343/ई0व0प0 पटना, दिनांक- 28.10.2000 के कंडिका के अनुपालन से झारखण्ड की आरा मिल बहुतायत में बंद हो गई है, क्योंकि वन भूमि से पाँच किलोमीटर की दूरी हो पाना झारखण्ड में असंभव है। यहाँ कुल 27% वन भूमि है और यह एक पठारी राज्य है, जबकि अन्नपूर्णा शॉ मिल vs झारखण्ड सरकार एवं अन्य पटना उच्च न्यायालय दिनांक- 19/07/2005 के पारा 9 एवं 13 में प्रत्येक CD ब्लॉक जिसकी आबादी 50,000 से ज्यादा है, वहाँ	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

01.	02.	03.	04.
		आरा मिल देना है, जिसे झारखण्ड सरकार ने नजर अंदाज किया है, जो जनहित में नहीं है। अतः सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ कि अन्य राज्यों की भाँति उचित नियमावली या गजट लाकर दिनांक- 12/12/1996 से पूर्व चलने वाले आरा मिलों को यथावत चलाने की अनुमति दी जाय, ताकि बंद प्रतिष्ठानों को चालु किया जा सके जिससे इस उद्योग में लगे मजदूरों, मालिकों, बढ़ई समुदाय में लगे लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जा सके।	
02-	श्री प्रदीप यादव स0वि0स0	"पूरे राज्य में सुखाड़ की मार से किसानों की कमर टूट गई है। आज किसानों के घर में मुट्ठीभर अनाज भी नहीं है। अविलम्ब सरकार सुखाड़ राहत किसानों को मुहैया करावे एवं कृषि ऋण की माफी हेतु निर्णय लें" उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।	कृषि पशुपालन एवं सहकारिता
03-	श्री राज सिन्हा स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में राँची विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को पी0एच0डी0 वेतनवृद्धि विगत 11 वर्षो से लम्बित है। यू0जी0सी0 के प्रावधान के तहत् यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के बाद पी0एच0डी0 अर्हता वाले शिक्षकों को एक साथ पाँच वेतनवृद्धि देने का प्रावधान है। राज्य सरकार की इस उदासीनता के कारण एक ओर जहाँ पी0एच0डी0 धारक शिक्षकों को लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा में रिसर्च कार्य के प्रति भी लोगों में उत्साह नहीं प्राप्त हो रहा है। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक है कि शोध कार्य के लिए विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहित किया जाए।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		अतः राज्य में गुणात्मक शिक्षा लाने एवं उच्च शिक्षा के विकास के लिए मैं झारखण्ड राज्य में सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत पी0एच0डी0 धारक शिक्षकों को नियमानुसार पाँच वेतनवृद्धि का लाभ शीघ्रातिशीघ्र देने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्री आलमगीर आलम स0वि0स0	कृपया विदित् हो कि पाकुड़- बरहरवा मुख्य पथ भाया कोटालपोखर पथ का हस्तान्तरण राष्ट्रीय उच्च पथ में वर्ष 2018 में किया गया है। उक्त महत्वपूर्ण पथ की स्वीकृति एवं भूमि अधिग्रहण कर कार्य प्रारम्भ करने में काफी समय लगेगा और वर्त्तमान में पथ की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है। जिसकी तत्काल मरम्मति कराना अत्यावश्यक है। अतः पाकुड़-बरहरवा मुख्य पथ भाया कोटालपोखर पथ की मरम्मति चालू वित्तीय वर्ष में पथ निर्माण विभाग से कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	पथ निर्माण
05-	श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0 श्री रामचन्द्र सहिस, स0वि0स0 श्री भानु प्रताप शाही, स0वि0स0	विदित हो कि झारखण्ड राज्य के लगभग 68000 पारा शिक्षक वेतनमान/मानदेय वृद्धि तथा अन्य सुविधाओं की मांगों को लेकर विगत 15 नवम्बर, 2018 से आन्दोलनरत हैं। पारा शिक्षको के द्वारा अपनी माँगो को लेकर निरंतर जन प्रतिनिधियों के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राज्य के पारा शिक्षको के आंदोलन के कारण लगभग 39000 प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में पठन-पाठन कार्य बाधित है। इसका प्रतिकूल प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से छात्र एवं छात्राओं के शैक्षणिक भविष्य पर पड़ रहा है। झारखण्ड राज्य में पारा शिक्षक एवं मनरेगा कर्मी अपने माँगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर अडिग है, जिसके कारण सरकार के कई महत्वपूर्ण कामों के क्रियान्वयन में असुविधा हो रही है। और जनता को भी काफी मुश्किलों का सामना करना-	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी

01.	02.	03.	04.
		पड़ रहा है। पारा शिक्षक के हड़ताल पर जाने से सरकारी " प्राथमिक विद्यालय " और " मध्य विद्यालय " के पठन-पाठन में बहुत ही प्रतिकुल असर पड़ रहा है, कुछ-कुछ जगह पर तो विद्यालय बन्द की स्थिति में है। सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्देश है कि किसी भी व्यक्ति यदि 10 (दस) वर्ष या उससे ज्यादा समय सरकार के किसी भी विभाग में सेवा देते है, तो उन्हें स्थायी कर्मी के रूप में हक मिलना चाहिए। देश के कई राज्य में भी यह नियम लागू किया है, लेकिन झारखण्ड राज्य में लागू नहीं किया गया है। देश में समान काम समान वेतन कानुन लागू होने के बावजुद झारखण्ड के लोगों को लाभ नही मिल रहे है। पारा शिक्षकों के मानदेय समायोजन बढ़ोतरी तथा समायोजन के लिए उच्चस्तरीय कमिटि बनायी गयी है, जो उच्चस्तरीय कमिटि विभिन्न राज्यों का दौरा कर वहाँ के पारा शिक्षकों का समतुल्य मानदेय तथा समायोजन की प्रक्रिया पर सरकार को रिपोर्ट देने वाली थी जो कि अभी नहीं हो पाया है। पारा शिक्षक 15 वर्षो से अनवरत सेवा ग्रामीण इलाकों रहकर बच्चों को शिक्षित करने में लगे है। आज पारा शिक्षक स्थायीकरण एवं मानदेय/वेतनमान को बढ़ाने के लिए युद्धस्तर पर जन आंदोलन कर रहे हैं। अतः हम सभी सदन के माध्यम से ध्यानाकृष्ट कराते हैं कि राज्य के सभी पारा शिक्षकों को स्थायीकरण करते हुए मानदेय/वेतनमान बढ़ोत्तरी के साथ-साथ हड़ताली मनरेगा कर्मियों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार की स्थायी समाधान करने की मांग करते है।	

राँची,
दिनांक- 26 दिसम्बर, 2018 ई0।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-77/2018-3701/वि0 स0, राँची, दिनांक-25/12/18

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/12/18

(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-77/2018-3701/वि0 स0, राँची, दिनांक-25/12/18

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

25/12/18

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-